UPSR010000042005

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–निर्दोष कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1659

विशेष गैंगेस्टर वाद संख्या–100023/2005

उत्तर प्रदेश राज्य –––––––अभियोगी/वादी।

बनाम

1– पप्पू उर्फ उत्तम कुमार **(पत्रावली पृथक)**

2– राजाराम पुत्र पटेसर निवासी–लालबोझा, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

3– इस्लाम उर्फ मटिहा पुत्र एक्का

निवासीगण–लालबोझा, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

4– श्यामलाल पुत्र तीरथराम**(मृत्यु के कारण दिनांक–03–11–2025 को उपशमित)**

–––––––––विपक्षीगण/अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या–344 ता 348/2005
धारा–307/34 भा०दं०सं०
व धारा– 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज
विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम
व धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

निर्णय

1– प्रस्तुत विशेष गैंगेस्टर वाद थाना मल्हीपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श–क–3 अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–344/2005 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं आरोप पत्र प्रदर्श–क–4 मुकदमा अपराध संख्या–348/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम तथा आरोप पत्र प्रदर्श–क–5 मुकदमा अपराध संख्या–346/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, प्रदर्श–क–6 मुकदमा अपराध संख्या–345/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, प्रदर्श–क–7 मुकदमा अपराध संख्या–347/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–08–08–2005

Digitally signed by NIRDOSH KUMAR
Date: 2026.03.13 16:51:25 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court
Shravasti

को वादी मुकदमा एस०ओ० कासिम मय एस०आई० मुंशीलाल प्रेमी मय एस०आई० सत्यनारायण यादव मय कां० असद अहमद, का० संजय कुमार मिश्रा, का० उमाशंकर सिंह, का० मुनेश्वर यादव की मय शस्त्रों सहित मय जीप सरकारी व चालक जगदीश सिंह सोलंकी के थाने से बहवाले रपट नं० 46 समय 28:06 बजे प्रस्थान करके तलाश वांछित अपराधी एवं दविश में मामूर थे। बाद दबिश ग्राम गंगा भागड़ से चौकी जमुनहा की तरफ जा रहे थे कि कोदिया गांव की तरफ से चार व्यक्ति बंधे से समतलिया की तरफ जाते हुए दिखायी दिये। जीप रोककर टार्च की रोशनी डालते हुए अपना परिचय देते हुए चारों व्यक्तियों को रूकने के लिए चेतावनी दिया कि इस पर चारों व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करते हुए गंगापुर भागड़ मोड़ से बंधे से नीचे उतर कर भागे। हमराही कर्मचारीगण व अधिकारीगण के सहयोग से घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 3:30 बजे रात्रि (दिनांक–09–08–2005) को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का क्रमशः नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम पप्पू पुत्र गजाधर निवासी भवनियापुर थाना मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती, दूसरे ने इस्लाम उर्फ मटिहा पुत्र एक्का, तीसरे ने राजाराम पुत्र पटेशर कुर्मी एवं चौथे व्यक्ति ने अपना नाम श्यामलाल पुत्र तीरथराम साकिन लाल बोझा, दा०–परसोहना, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावसती बताया। पकड़े गये व्यक्तियों की क्रमशः जामा तलाशी ली गयी तो पप्पू के दाहिने हाथ से एक अदद कट्टा 12 बोर चालू हालत में बरामद हुआ। नाल खोलकर देखा गया तो ताजा चला हुआ खोखा नाल में लगा है, जिससे बारूद की गंध आ रही है तथा पहने हुए लुंगी की दाहिनी फेट से दो अदद कारतूस भरा हुआ 12 बोर जो मिस है, बरामद हुआ। **इस्लाम उर्फ मटिहा की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए लुंगी के बांयी फेट से *एक अदद चाकू* बरामद हुआ। राजाराम पुत्र पटेसर की जामा तलाशी ली गयी तो पहनी हुयी लुंगी के दाहिनी फेट से *एक अदद चाकू* बरामद हुआ।** श्यामलाल पुत्र तीरथराम की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ से एक अदद कट्टा 315 बोर बरामद हुआ। नाल के अन्दर फंसा कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्तियों से कट्टा, कारतूस व चाकू रखने का वैध पत्र मांगा गया तो नहीं दिखा सके। पूछताछ पर ग्राम लाल बोझा की चोरी का जुर्म इकबाल करते हुऐ बताये कि **उन्होंने ग्राम लाल बोझा में दिनांक–02/03–08–2005 की रात अपने गांव के बृजेश वर्मा के साथ चोरी किये थे। उसमें जो उन लोगों को माल मिला है, उसे बृजेश वर्मा के घर में ही भूसे में छिपाकर रखा है, चलकर दे सकते है।** वे लोग पुलिस के डर से नेपाल जा रहे थे कि पकड़े गये, गलती हुयी, माफ कर दिया जाये। **पप्पू का एक संगठित गिरोह है जो स्वयं व गिरोह के सदस्यों के साथ अनुचित रूप से चोरी कर धन अर्जित कर रहा है तथा अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए**

अपराध कर रहे हैं। पकड़े गये व्यक्तियों का यह कार्य धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3/25 4/25 आयुध अधिनियम का दण्डनीय अपराध है, जिन्हे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामदशुदा कट्टा, कारतूस व चाकूओं को कब्जा पुलिस में लेकर अलग–अलग कपड़ों में रखकर मौके पर ही सर्व मोहर किया गया। **नमूना मोहर तैयार किया गया।** पकड़े गये व्यक्तियों का एक संगठित गिरोह है। जिसका आम जनता में इनता आंतक व्याप्त है कि इनके विरूद्ध कोई गवाही व रिपोर्ट आदि लिखाने को तैयार नहीं होता। गिरफ्तारी अचानक होने के कारण जनता का कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। इनकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा–3(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक है। अतत् धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कारण बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गैंगचार्ट अलग से अनुमोदित कराया जायेगा। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में एस०आई० सत्य नरायण यादव से बोल–बोलकर लिखाकर पढ़कर सुनाकर हमराही कर्मचारीगण एवं पकड़े गये व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

3– फर्द प्रदर्श–क–1 के आधार पर थाना–मल्हीपुर में अभियुक्तगण पप्पू आदि के विरूद्ध धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम व धारा–3/25, 4/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत हुआ।

4– अभियुक्तगण के विरूद्ध निम्नलिखित कथित गैंगचार्ट प्रदर्श–क–11 प्रेषित किया है जो निम्न प्रकार है–

नाम पता अभियुक्तगण	मु०अ०सं० 201/1999 धारा–401 भा०दं०सं०	मु०अ०सं० 343/2005 धारा–380,411 भा०दं०सं०	मु०अ०सं० 344/2005 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट	मु०अ०सं० 345/2005 धारा–3/25 आयुध अधि०	मु०अ०सं०– 346/2005 धारा–4/25 आयुध अधि०	मु०अ०सं०– 347/2005 धारा–4/25 आयुध अधि०	मु०अ०सं० 348/2005 धारा–3/25 आयुध अधि०
उत्तम कुमार उर्फ पप्पू पुत्र गजाधर	√	√	√	√	----	----	----
श्यामलाल पुत्र तीरथ	----	√	√	----	----	----	√
इस्लाम उर्फ मटिहा पुत्र एक्का	----	√	√	----	√	----	----
राजाराम पुत्र पटेसर	----	√	√	----	----	√	√

5– मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल फर्द, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया तथा गैंगचार्ट तैयार किया। बादहू विवेचना समाप्त करते हुए विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण उत्तम कुमार उर्फ पप्पू, श्यामलाल, इस्लाम उर्फ मटिहा व राजाराम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–344/2005 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं अभियुक्त पप्पू उर्फ उत्तम कुमार के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–345/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्त इस्लाम उर्फ मटिहा के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–346/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त राजाराम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–347/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त श्यामलाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–348/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

6– आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) फैजाबाद द्वारा दिनांक–08–12–2005 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा दिनांक–27–05–2006 अभियुक्तगण पप्पू उर्फ उत्तम कुमार, इस्लाम उर्फ मतिहाड़ा, राजाराम व श्यामलाल के विरूद्ध धारा–307/34 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम व धारा–25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की गयी।

7– अभियुक्त श्यामलाल की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक–03–11–2025 को उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की गयी एवं अभियुक्त पप्पू उर्फ उत्तम कुमार की पत्रावली उसकी अनुपस्थिति में पृथक की गयी।

8– राज्य की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्रसं	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या	साक्षी का प्रकार	साबित प्रपत्र	प्रदर्श/वस्तु प्रदर्श
1–	एस०आई० सत्य नरायण यादव	पी०डब्लू०–1	हमराह	----	----
2–	एस०आई० मोहम्मद कासिम	पी०डब्लू०–2	वादी मुकदमा	फर्द	प्रदर्श–क–1
				अभियुक्त पप्पू से बरामद कट्टा	वस्तु प्रदर्श–1
				पप्पू से बरामद भरे दो करातूस	वस्तु प्रदर्श–2 ता3
				पप्पू से बरामद खोखा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–4
				इस्लाम से बरामद चाकू	वस्तु प्रदर्श–5
				राजाराम से बरामद चाकू	वस्तु प्रदर्श–6
				श्यामलाल से बरामद कट्टा	वस्तु प्रदर्श–7
				श्यामलाल से बरामद कारतूस	वस्तु प्रदर्श–8

3–	उपनिरीक्षक शिवमुनी सिंह यादव	पी०डब्लू० 3	विवेचक	घटनास्थल नक्शा–नजरी आरोप पत्र ए–6/5 आरोप पत्र ए–6/4 आरोप पत्र ए–6/3 आरोप पत्र ए–6/2 आरोप पत्र ए–6/1 अनुमति धारा–39 आयुध अधि० अनुमति धारा–39 आयुध अधि० अनुमति गैंगस्टर एक्ट गैंगचार्ट चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श–क–2 प्रदर्श–क–3 प्रदर्श–क–4 प्रदर्श–क–5 प्रदर्श–क–6 प्रदर्श–क–7 प्रदर्श–क–8 प्रदर्श–क–9 प्रदर्श–क–10 प्रदर्श–क–11 प्रदर्श–क–12
4–	सेवानिवृत उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा	पी०डब्लू०–4	एफ०आई०आर० लेखक	चिक एफ०आई०आर० कामयी जी०डी०	प्रदर्श–क–12 प्रदर्श–क–13
5–	सेवानिवृत निरीक्षक ए०पी० यादव	पी०डब्लू०–5	प्रारम्भिक विवेचक	-----	-----
6–	रामबरन सिंह	पी०डब्लू०–6	वादी मुकदमा (मु०अ०सं०–343/2005)	----	----

9– तत्पश्चात अभियोजन की ओर से दिनांक–16–01–2026 को आदेश पत्रक पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त करने का स्पष्ट तौर पर अंकन किया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक–20–01–2026 को अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

10– दिनांक–27–01–2026 को अभियुक्तगण राजाराम व इस्लाम उर्फ मटिहा का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित हुआ। अभियुक्तगण ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व रंजिशन बयान देने का कथन किया तथा अपने पास से बरामदगी न होने का कथन किया और झूठी विवेचना के आधार पर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य देने का कथन किया तथा मुकदमा रंजिशन/राजनैतिक रंजिश के कारण दुस्मनों के इशारे पर पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है। घटना झूठी है और अभियुक्तगण निर्दोष है।

11– अभियुक्तगण के सफाई साक्ष्य देने के कथन के अनुक्रम में अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया। जिसमें अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०–1 छोटेलाल वर्मा पुत्र राम सुमिरन को परीक्षित कराया गया।

12– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

13– पी०डब्लू०–1 एस०आई० सत्य नरायण यादव (हमराह) ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कहा है कि “दिनांक–08–08–2005 को मैं थाना मल्हीपुर में तैनात था। उक्त तिथि को मैं, एस०ओ० मोहम्मद कासिम, एस०आई० मुंशीलाल प्रेमी, का० संजय, का० उमाशंकर, का० असद अहमद, का० भुनेश्वर

यादव, आरक्षी चालक जगदीश सिंह सोलंकी के साथ दबिश देने हेतु थाने से प्रस्थान किया। हम लोग ग्राम गंगा से दबिश देकर चौकी जमुनहा के लिए जा रहे थे कि बन्धे पर कोलिया गांव से सन्तलिया जाने वाले बन्धे पर 4 व्यक्ति को आते हुए दिखायी दिये। जिन्हें टार्च की रोशनी डालते हुए अपना परिचय देते हुए रूकने हेतु कहा गया तो उनमें से दो ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। दो व्यक्ति बन्धे से नीचे उतर कर भागे। जिन्हें हम लोगों ने दिनांक-09-08-2005 को 3:30 बजे प्रातः पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम पप्पू उर्फ उत्तम कुमार, दूसरे ने इस्लाम उर्फ मतिहाड़ा, राजाराम व श्यामलाल बताया। बाजाप्ता जामा तलाशी ली गयी तो पप्पू के दाहिने हाथ से एक अदद कट्टा 12 बोर तथा 2 कारतूस 12 बोर एक कारतूस का खोखा चेम्बर में, इस्लाम के पास से एक अदद चाकू, राजाराम के पास से एक अदद चाकू, श्यामलाल के पास से एक अदद कट्टा तथा एक चेम्बर में कारतूस। फिर कहा कि जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मुल्जिमानों में से इस्लाम व राजाराम हाजिर हैं। इन लोगों से बरामद असलाहा के बारे में लाइसेंस मांगा गया तो लाइसेंस नहीं दिखा सके। उन लोगों से पूछताछ करने पर बृजेश वर्मा के साथ चोरी करना बताये थे तथा चोरी का माल बृजेश वर्मा के घर के भूसे में छिपाकर रखना बताया कहा कि चल कर बरामद करा देंगे। मुल्जिमानों के पास से बरामद तमंचा व कारतूस व चाकू को अलग-अलग कपड़ों में रखकर सील सर्व मोहर किया गया। नमूना मोहर तैयार की गयी। फर्द मौके पर एस०ओ० मोहम्मद कासिम के बोलने पर मौके पर मैंने अपने लेख व हस्ताखर में टार्च की रोशनी में तैयार किया तथा फर्द पर अभियुक्तगण का हस्ताक्षर बनाया गये तथा **उनको नकल दी गयी**। मैंने तथा हमराहियों व अधिकारियों ने भी हस्ताक्षर बनाया। फर्द शामिल पत्रावली को देखकर गवाहा ने कहा कि यही फर्द मैंने एस०ओ० के बोलने पर लिखा था। इस पर प्रदर्श-क-1 डाला गया। गिरफ्तारी अचानक होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिला सका। पकड़े गये लोगों का एक संगठित गिरोह है, जिसका आम जनता में भय व्याप्त है। जिनके विरूद्ध कोई रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं करता है। पप्पू का यह संगठित गिरो स्वयं तथा अन्य लोगों के साथ चोरी करके धन अर्जित करता है और आर्थिक लाभ के लिए यह अपराध करता है।"

14- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 एस०आई० मोहम्मद कासिम ने अपने सशपथ बयान में तहरीर के अनुरूप व पी०डब्लू०-1 के तथ्यों को ही दोहराया है तथा साक्षी ने फर्द को तस्दीक करते हुए प्रदर्श-क-1 के रूप में साबित किया है और अभियुक्त पप्पू से से बरामद कट्टा व कारतूस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 ता वस्तु प्रदर्श-4 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्त इस्लाम से बरामद चाकू को वस्तु प्रदर्श-5, राजाराम से बरामद चाकू को प्रदर्श-क-6 एवं अभियुक्त श्यामलाल से

बरामद कट्टा व कारतूस को वस्तु प्रदर्श–7 ता 8 के रूप में साबित किया गया है।

15– पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक शिवमुनी सिंह यादव जो मामले के विवेचक है ने मामले की विवेचनात्मक कार्यवाही करना साबित किया है तथा साक्षी ने घटनास्थल नक्शा–नजरी प्रदर्श–क–2 को द्वितीयक साक्षी के रूप में एस०आई० ए०पी० यादव के लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श–क–3 ता प्रदर्श–क–7 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अनुराग श्रीवास्तव के लेख व हस्ताक्षर में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ उत्तम कुमार तथा श्यामलाल के विरूद्ध धारा–3/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा चलाने हेतु अनुमति प्रपत्र को क्रमशः प्रदर्श–क–8 व प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक बहराइच/श्रावस्ती से अनुमति सम्बन्धी प्रपत्र को प्रदर्श–क–10 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित गैंगचार्ट को प्रदर्श–क–11 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० को द्वितीयक साक्षी वीरेन्द्र कुमार मिश्र के लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए प्रदर्श–क–12 के रूप में साबित किया।

16– पी०डब्लू०–4 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–09–08–2005 को मैं थाना मल्हीपुर में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर थाना मल्हीपुर में कार्यलेख पर मौजूद था। उसी दिन मु०अ०सं०–344/2005, मु०अ०सं०–345/2005, मु०अ०सं०–346/2005, मु०अ०स०–347/2005, मु०अ०सं०–348/2005 में क्रमशः धारा–307 भा०दं०सं० व 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट बनाम पप्पू आदि, धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम पप्पू, धारा–4/25 आयुध अधिनियम बनाम इस्लाम, धारा–4/25 आयुध अधिनियम बनाम राजाराम, धारा–3/25 आयुध अधिनियम बनाम श्यामलाल थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती में एस०ओ० मो० कासिम द्वारा दिये गये फर्द पर मेरे द्वारा अक्षरशः नकल किया गया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5/1 ता ए–5/3 मूल चिक है। जिस पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, पहचान करता हूँ। जिस पर पहले से ही प्रदर्श क–12 डाला गया। इस मुकदमें की कायमी जी०डी० पत्रावली संलग्न कागज संख्या ए–9/1 ता ए–9/2 जो उस मुकदमें के वादी मुकदमा एस०ओ० मो० कासिम के द्वारा स्वयं लिखा गया जो उनके लेख व हस्ताक्षर में है, पहचान करता हूँ। क्योंकि मैं उनके साथ तैनात था और उनको पढ़ते लिखते देखा है। जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

17– पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत्त ए०पी० यादव ने अपने सशपथ बयान की

मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि “दिनांक–10–08–2005 को मैं थानाध्यक्ष सिरसिया के पद पर तैनात था। उसी दिन मु०अ०सं०–344/2005 धारा–307 भा०दं०सं० व 3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट व मु०अ०सं०–345/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०– 346/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, मु०अ०स०–347/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, मु०अ०सं०–348/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम की विवेचना क्षेत्राधिकारी भिनगा द्वारा दिनांक–10–08–2005 मुझ थानाध्यक्ष को सुपुर्द हुई। पर्चा नं०–1 उपनिरीक्षक विजय प्रताप सिंह थाना मल्हीपुर द्वारा किता करके प्रेषित किया गया है। विवेचना मिलने के पश्चात मैंने दिनांक–18–08–2005 को पर्चा नं०–2 किता किया जिसमें पूर्व किता किये गये पर्चों का अवलोकन किया गया तथा वादी कासिम अली का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं०–3 तथा पर्चा नं०–3 ए दिनांक–22–08–2005 को किता किया और उसमें रिमांड की याचना की गयी। पर्चा नं०–4 दिनांक–27–08–2005 किता करते हुए उपनिरीक्षक मुन्नीलाल, उपनिरीक्षक सत्यनारायन यादव, आरक्षी अरशद अहमद, का० संजय कुमार, का० उमाशंकर, का० मुनेश्वर यादव, का० ड्राइवर जगदीश सिंह सोलंकी का कथन अंकित किया गया तथा वादी मुकदमा के निशानदेही पर नक्सा–नजरी बनाकर संलग्न केस डायरी किया गया। पर्चा नं०–5 दिनांक–03–09–2005 को किता करते हुए मुल्जिमानों का रिमांड लिया गया। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया।"

18– पी०डब्लू०–6 रामबरन वर्मा पुत्र राम फेरन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "चोरी वाली घटना आज से 20–21 साल पहले की है। घटना के समय मैं घर पर था। उस चोरी में मेरे घर से महिलाओं का चीज, गहना, सोने की मोहर चोरी हो गयी थी। चोरी के सम्बन्ध में मैंने थाना मल्हीपुर में दरख्वास्त दी थी। **दरख्वास्त में मैंने किसी का नाम नहीं लिखाया था। अज्ञात में तहरीर दी थी।** मुकदमा लिख जाने के बाद दरोगा जी आये थे और मेरा बयान लिया था। **पुलिस वालों ने मुझसे बाद में बताया था कि चोरी में पप्पू उर्फ उत्तम कुमार, इस्लाम, राजाराम और श्यामलाल शामिल थे और इन्हीं लोगों ने चोरी की थी।**"

19– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में परीक्षित गवाहान डी०डब्लू०–1 छोटेलाल वर्मा पुत्र राम सुमिरन ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि "मैं लालबोझा थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती का मूल निवासी हूँ और राजाराम पुत्र पटेसर को भली भाँति जानता पहचानता हूँ। जो मेरे गाँव के है और इनका चरित्र बहुत अच्छा है। यह काफी सामाजिक व्यक्ति है। जनता उन्हें बहुत सम्मान करती है। गाँव में व आप–पास के क्षेत्रों में इनका बहुत सम्मान है। इनसे किसी भी प्रकार का

कोई भय जनता को नहीं है। राजाराम के चाचा मगन बिहारी ने गाँव के पूर्व प्रधान विजयवीर के खिलाफ वर्ष 2005 में प्रधानी का चुनाव लडा था। जिसमें विजयवीर प्रधानी का चुनाव जीत गये थे। इसी चुनाव में राजाराम अपने चाचा मगन बिहारी का प्रचार प्रसार किये थे। जिस कारण से विजयवीर दुश्मनी मानते थे। विजयवीर का स्थानीय थाना में अच्छी पकड थी और घटना के समय थानाध्यक्ष कासिम विजयवीर प्रधान के घर पर आते जाते थे और दोनों के सम्बंध काफी अच्छे थे। इस कारण से उपरोक्त राजनैतिक रंजिश के कारण विजयवीर ने थानाध्यक्ष कासिम से साज करके दिनांक 07.08.2005 को रात में ही राजाराम को उनके घर से पुलिस वाले उठा ले लगे थे और बाद में पता चला कि राजाराम के ऊपर झूठा मुकदमा लगा कर उनका चालान कर दिया था। साक्षी को एफ०आई०आर० की फर्द बरामदगी पढकर सुनाई गई तो साक्षी ने कहा कि इसमें लिखी बाते सब फर्जी है और राजाराम को फँसाने के लिये फर्जी रूप से अंकित की गई है। जब पुलिस राजाराम को दिनांक 07.08.2005 को रात में ले गई थी तब मैंने राजाराम को घर से ले जाते हुये देखा था। मेरे दरवाजे से होकर पुलिस वाले ले गये थे।"

20– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

21– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रस्तुत किये गये सभी साक्षीगण जो पुलिस कर्मी है उन्होंने अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित किया है, उनके बयान में कोई भी तात्विक विरोधाभाष नहीं है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण एक गैंग होना एवं अभियुक्तगण द्वारा गैंग के रूप में चोरी एवं लूट करना साबित किया है। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से हमला करना एवं अभियुक्तगण के कब्जे से जामातलाशी के दौरान चाकू बरामद होना भी साबित है। अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्धि किये जाने याचना की गयी है।

22– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रस्तुत किये गये सभी गवाह पुलिसकर्मी है। स्थानीय पुलिस ने शासन के दबाव में यह फर्जी कार्यवाही मुकदमें के सम्बन्ध में की है और न्यायालय में भी झूठा बयान दिया है। उनके बयान विरोधाभाषी हैं। गैंगचार्ट में आधार वाद के रूप में दर्शित मुकदमों में गैंगचार्ट के अनुमोदन से पहले न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। इस प्रकार गैंगचार्ट दूषित है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान के बयान से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। कथित फायरिंग की कार्यवाही में किसी को भी चोट नहीं आयी है जो घटना को संदिग्ध बनाती है। नमूना

मोहर साबित नहीं है। अभियुक्तगण से दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है अभियुक्तगण को घर से पकड़कर फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया था। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

23– ***धारा–2 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम, 1986***– *परिभाषा–(क)–"संहिता" का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम० 2 सन् 1974) से है।*

(ख) "गिरोह" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी(टेम्पोरल) आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा, या अन्य प्रकार से धारा–2 की उपधारा(2) (ख) की उपधारा (एक) से (पच्चीस) में उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

धारा–3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम–1986 शक्ति–*(1) किसी गिरोहबन्द को दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो दो वर्ष से कम नहीं होगी और जो दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पाँच हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायेगा।*

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का जो लोक सेवक होते हुये चाहे स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी गिरोहबन्द की किसी रीति से, अवैध रूप से सहायता या समर्थन, चाहे गिरोहबन्द द्वारा कोई अपराध किये जाने के पूर्व या पश्चात करता है, या विधिपूर्ण उपाय करने से विरत रहता है या इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को कार्यान्वित करने से जानबूझकर बचता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो दस वर्ष तक हो सकेगी, किन्तु तीन वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

धारा–4 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम–1986– साक्ष्य के विशेष नियम–*संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध या सम्बद्ध अपराधों के लिये विचारण और दण्ड के प्रयोजनार्थ–*

(क) न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है कि अभियुक्तः

(एक) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा–107 या धारा–108 या धारा–109 या धारा–110 के अधीन आबद्ध किया गया था, या

(दो) निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निरूद्ध

किया गया था, या

(तीन) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 या ऐसी किसी विधि के अधीन बहिष्कासित किया गया था, या

(ख) जहाँ यह साबित हो जाये कि किसी गिरोहबन्द या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास किसी समय इतनी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या रही है जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, या जहाँ उसके वित्तीय साधन उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों के अनुपात में नहीं है, वहां न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या वित्तीय साधन गिरोहबन्द के रूप में उसके क्रियाकलाप से अर्जित या प्राप्त किया गया है,

(ग) जहाँ यह साबित हो जाये कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यवहरण या अपहरण किया है वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह फिरौती के लिये किया गया था,

(घ) जहाँ यह साबित हो जाये कि किसी गिरोहबन्द ने किसी व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को साशय छिपाया या परिरुद्ध किया है, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि गिरोहबन्द यह जानता था कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, व्यपहृत या अपहृत किया गया था,

(ङ) यदि न्यायालय, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना उचित समझे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहे तो साक्षी को प्रतिरक्षा के लिये पुनः बुलाया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा पुनः अभिलिखित करना आवश्यक न होगा।

20– *अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की विधि व्यवस्था* ***तटस्थ उद्धरण संख्या–24298/2024, नैवेद्य धनीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *दाखिल की गयी है। जिसके सादर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय के गैंगेस्टर के मामलों में यह अवधारणा किया गया है किः–*

"12. साजू बनाम केरल राज्य, ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 175 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में प्रतिपादित किया है कि एक आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि आरोपी सीधे और वर्तमान में उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार कृत्यों या चूक से जुड़ा था। यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि आरोपियों में से किसी एक के कृत्य या कार्यवाही को दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत एक अपवाद बनाया गया है। अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर अपराध करने की साजिश रची थी। केवल इतना ही है कि एक आरोपी द्वारा की गई कार्रवाई या बयान के साक्ष्य को दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

13. अधिनियम की धारा 2/3 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं नीचे सूचीबद्ध की जा रही हैं:–

(i) व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, जो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हों,

(ii) हिंसा या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन या धमकी या जबरदस्ती या अन्यथा द्वारा;

(iii) सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लौकिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से:

(iv) धारा 2(बी) की पंद्रह श्रेणियों में वर्गीकृत असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होना।

14. इसका अर्थ यह है कि समूह बनाने वाले व्यक्तियों को गिरोह कहा जा सकता या अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से है यदि वे हिंसा, हिंसा का प्रयोग, धमकी, धमकी, जबरदस्ती या स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लौकिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खंड (1) से (XV) के तहत सूचीबद्ध किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त हैं और गिरोह के सदस्य, नेता, आयोजक के रूप में पूर्वोक्त गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को गैंगस्टर माना जा सकता है और अधिनियम की धारा 3 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

----

17. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य; एआईआर 1973 एससी 2773 में यह प्रतिपादित किया है कि आपराधिक मुकदमे में, अपराध के विभिन्न तत्वों को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है और जब तक वह उस दायित्व का निर्वहन नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता।

18. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह एआईआर 1975 एससी 258 में यह प्रतिपादित किया है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1981 एससी 765 में प्रतिपादित किया है कि बचाव का

मिथ्यात्व अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं करता है।

20. इसके अलावा प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1976 एससी 966 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करना है, जबकि अभियुक्त को केवल संभावनाओं की प्रबलता स्थापित करने तक ही साबित करना है।"

21– गैंगचार्ट पत्रावली में ए–11 के रूप में दाखिल है। जिसमें आधार वाद के रूप में मुकदमा अपराध संख्या–343/2005 धारा–380,411 भा०दं०सं० व धारा–344/2005 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट को दर्शित किया गया है। उक्त दोनों मुकदमों के अवलोकन से विदित है कि गैंगचार्ट तैयार अनुमोदित होने के दिनांक से पूर्व उक्त दोनों मुकदमों में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्याः12/6 पु० 11–2004–58 (रिट)/2003 गृह (पुलिस) अनुभाग–11 दिनांक–02–01–2004 में यह उल्लेख किया गया है कि––– (5) **किसी गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये, उसके विरूद्ध उन्हीं मामलों को आपराधिक सूची में सम्मिलित मानना चाहिये, *जिन मामलों में पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है*** । जिन मामलों में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है या न्यायालय द्वारा विचारण के उपरान्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है, उसे आपराधिक विवरण में सम्मिलित न किया जाये।

22– उपरोक्त से स्पष्ट है कि उक्त शासनादेश के अनुक्रम में गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमों को आधार वाद के रूप में दर्शित नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि गैंगचार्ट प्रदर्श–क–11 दिनांक–11–08–2005 को जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। जिसमें आरोप पत्र प्रेषित करने का कोई अंकन नहीं है और न ही साक्ष्य के स्तर पर उपरोक्त मामलों में से कोई भी आरोप पत्र गैंगचार्ट तैयार करने से पहले प्रेषित करना साबित किया गया है। गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमा अपराध संख्या–20/1999 (जो मात्र पप्पू उत्तम के विरूद्ध है) को छोड़कर अन्य सभी मुकदमें एक ही क्रम में अपराध संख्या–343 ता 348/2005 एक ही दिनांक पर दर्ज किये गये हैं।

23– उक्त के अतिरिक्त गैंगचार्ट प्रदर्श–क–11 में मुकदमा अपराध संख्या–345/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या–346/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या–347/2005 धारा–4/25 आयुध अधिनियम, मुकदमा अपराध संख्या–348/2005 धारा–3/25 आयुध अधिनियम भी दर्शित किये गये हैं। धारा–3/25 व 4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें **गैंगस्टर के मामले में आधार वाद के रूप में धारा–2(2) ख गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत शामिल नहीं किये जा**

सकते है। इससे गैंगचार्ट प्राथमिक रूप से ही दूषित है और सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा बिना सम्यक रूप से विचार किये गैंगचार्ट अनुमोदित किया गया प्रतीत होता है। ऐसे गैंगचार्ट के आधार पर कोई भी निष्कर्ष न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत दिया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि विचारण प्रारम्भिक रूप से अविधिक रूप से तैयार गैंगचार्ट पर आधारित है।

24- पी०डब्लू०-1 ने जिरह में बताया है कि *किस मुल्जिम की तलाश में वे लोग निकले थे, उसका नाम वह नहीं बता सकता है और न ही उसका तस्करा फर्द में ही है और न ही किसी अपराध का ही तस्करा अंकित है। थाने से घटनास्थल के बीच किस गांव में गया था किसी गांव का नाम नहीं बता सकता। कहां-कहां गये थे इस बात का तस्करा भी फर्द में नहीं है* । **इस घटना के पहले मुल्जिमान का कोई आपराधिक इतिहास थाने पर था या नहीं, वह नहीं बता सकता। मुल्जिमान को नाम पते से पहले से नहीं जानता था, न उसने उसके नाम के बारे में सुना था। थाने से चलने के कितने घण्टे बाद मौके पर पहुँच गये थे नहीं बता सकता।** उन लोगों में पहले किस कर्मचारी ने पहले मुल्जिम को पकड़ा वह नहीं बता सकता। उन लोगों को देखकर मुल्जिम उत्तर-पश्चिम तरफ भागे। उसने इस्लाम को पकड़ा था और किसने किसे पकड़ा था नहीं बता सकता। जहाँ से मुल्जिमान को पकड़ा गया था वहां से मुल्जिमान ने फायर नहीं किया था। केवल एक फायर हुआ था। **बचाव में पुलिस पार्टी की तरफ से कोई फायर नहीं किया गया था। मौके पर कोई छर्रा गिरा हुआ नहीं दिखा था। वह नहीं बता सकता है कि कौन किस मुल्जिम को पकड़ा था।** फर्द में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की तलाशी के पूर्व आपस में तलाशी की बात फर्द में नहीं लिखा था। घटनास्थल पर विवेचना के दौरान दोबारा नहीं गया। साक्षी ने अपने बयान में बताया है कि **मुल्जिमान द्वारा एक फायर किया गया था**। जबकि फर्द प्रदर्श-क-1 में यह तथ्य अंकित है कि **चारों व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया।** इस प्रकार साक्षी का बयान फर्द से विरोधाभाषी है। साक्षी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि पुलिस पार्टी द्वारा कोई फायर नहीं किया गया था। अभियुक्तगण द्वारा जब पुलिस पार्टी पर दो-दो फायर किये गये हों तब भी पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में कोई फायर न किया जाये, विश्वसनीय एवं स्वाभाविक नहीं है। साक्षी के बयान में यह भी तथ्य आया है कि पुलिस पार्टी ने मुल्जिमान की जामा तलाशी लिये जाने से पहले अपनी जामा तलाशी आपस में लिये जाने के बावत फर्द में कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस पार्टी का उक्त आचरण भी घटना की संदिग्धता की ओर इशारा करता है। ऐसी परिस्थिति में साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है और गम्भीर विरोधाभाष से परिपूर्ण है।

25- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 एस०आई० मोहम्मद कासिम ने

अपने सशपथ बयान में तहरीर के अनुरूप व पी०डब्लू०–1 के तथ्यों को ही दोहराया है तथा साक्षी ने फर्द को तस्दीक करते हुए प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित किया है और अभियुक्त पप्पू से से बरामद कट्टा व कारतूस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 ता वस्तु प्रदर्श–4 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्त इस्लाम से बरामद चाकू को वस्तु प्रदर्श–5, राजाराम से बरामद चाकू को प्रदर्श–क–6 एवं अभियुक्त श्यामलाल से बरामद कट्टा व कारतूस को वस्तु प्रदर्श–7 ता 8 के रूप में साबित किया गया है। साक्षी ने आगे बताया है कि बरामदशुदा चाकू व कट्टा, कारतूस कब्जे में लेकर मुल्जिमान को कारण बताकर गिरफ्तार किया व बरामद असलहों को अलग–अलग कपड़े में सर्व मोहर किया गया। **नमूना मोहर तैयार कर** फर्द एस०आई० सत्य नरायण यादव से उसने टार्च की रोशनी में बोलकर लिखाया व फर्द पढ़कर सुनाकर उसने व कर्मचारीगण व मुल्जिमान के हस्ताक्षर कराये। मुल्जिमान को फर्द की नकल देकर हस्ताक्षर कराये। जिरह में साक्षी ने बताया है कि **फर्द के साथ जो नमूना मोहर तैयार किया गया था वह फाइल में नहीं है**। इस प्रकार अभियोजन की ओर से दौरान फर्द तैयार किया गया नमूना मोहर भी पत्रावली में दाखिल कर साबित नहीं कराया गया है। साक्षी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में बताया है कि **मुल्जिमान को फर्द की नकल देकर हस्ताक्षर कराये। जबकि फर्द प्रदर्श–क–1 में मुल्जिमान को फर्द दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।** इस प्रकार साक्षी का बयान फर्द के तथ्यों से भिन्न है और विश्वसनीय नहीं है।

26– पी०डब्लू०–2 ने जिरह में बताया है कि गंगा भागड़ जिस मुल्जिम की तलाश में गया था, उसका नाम फर्द व सी०डी० में अंकित नहीं किया। जमुनहा बाजार से कब चला था, सही समय याद नहीं है। **पुलिस टीम के दौड़ाने पर चारों मुल्जिमान एक ही दिशा की ओर भागे थे**। पुलिस टीम ने पश्चिम उत्तर 20–25 कदम दौड़ाया था। उसके पहले ही मुल्जिमान ने पुलिस टीम पर फायर किया था। बंधा से नीचे उतर कर फायर किया था। फायर करते समय पुलिस टीम 30 कदम उत्तर पूरब कोने पर थे। **मौके पर कोई छर्रा नहीं मिला था**। पीछा करने में वह सबसे आगे था। मुल्जिमान के पास रोशनी का कोई साधन नहीं था। उसने स्वयं किसी मुल्जिम को नहीं पकड़ा था। सबसे पहले कौन पकड़ा गया था, यह स्पष्ट नहीं बता सकता। **मुल्जिमान अलग–अलग दिशाओं में भागते पकड़े गये थे**। साक्षी ने जिरह में एक बार चारों मुल्जिमान को एक ही दिशा में भागना बताया है, जबकि बाद में यह बताया है कि मुल्जिमान अलग–अलग दिशाओं में भागते पकड़े गये थे। इस प्रकार साक्षी का बयान समय–समय पर परिवर्तित होता रहा है और विश्वसनीयता की श्रेणी में नहीं आता है। यह भी स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं है कि दो फायर किये जाने के बाद भी मौके से कोई छर्रा बरामद न हो। यह भी स्वाभाविक नहीं है कि रात के समय

मुल्जिमान जंगल में बिना किसी रोशनी साधन के जा रहे हों।

27– पी०डब्लू०–2 ने जिरह में आगे बताया है कि मुल्जिमान से बरामद चाकू साधारण चाकू नहीं है। बल्कि बटनदार चाकू है। उसमें मुर्चा लगा है। **चाकू का फल साक्षी ने नापकर 6 अंगुल दिखाया तथा बेट 07 अंगुल** है। **फर्द में चाकू के फल की लम्बई 7 अंगुल व बेंट 8 अंगुल है**। खोखा कारतूस जो उसने नाल से निकाला है, उसमें पीतल नहीं लगा है तथा खोखा बीच से लम्बई में फटा है। इसका उल्लेख फर्द में नहीं किया है। **पप्पू से बरामद कट्टे के नाल की लम्बई 09 अंगुल है। फर्द में नाल की लम्बई 10 अंगुल लिखा है**। श्यामालाल से बरामद कट्टे के नाल की लम्बई 8 अंगुल है। यह कहना गलत है कि दोनों कट्टा चालू हालत में नहीं है। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि मुल्जिमान से बरामद चाकू की नाप के बावत भी साक्षी का बयान फर्द से विरोधाभाषी है, जिससे चाकूओं की बरामदगी संदिग्ध है।

28– पी०डब्लू०–2 ने जिरह में आगे कथन किया है कि घटनास्थल पर मुल्जिमान के कब्जे से कोई चोरी का समान बरामद नहीं हुआ था। मौके पर डेढ–दो घंटा लिखा पढ़ी में लगा था। **मुल्जिमान की तलाशी के पहले पुलिस टीम ने अपनी तलाशी नहीं लिया था। मुल्जिमान के फायर करने पर पुलिस टीम ने अपनी बचत में कोई फायर नहीं किया था**। साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा जब पुलिस पार्टी पर दो–दो फायर किये गये हों तब भी पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में कोई फायर न किया जाये, विश्वसनीय एवं स्वाभाविक नहीं है। साक्षी के बयान में यह भी तथ्य आया है कि पुलिस पार्टी ने मुल्जिमान की जामा तलाशी लिये जाने से पहले अपनी जामा तलाशी आपस में लिये जाने के बावत फर्द में कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस पार्टी का उक्त आचरण भी घटना की संदिग्धता की ओर इशारा करता है। ऐसी परिस्थिति में साक्षी का बयान विश्वसनीय नहीं है और गम्भीर विरोधाभाष से परिपूर्ण है।

29– पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक शिवमुनी सिंह यादव जो मामले के विवेचक है ने मामले की विवेचनात्मक कार्यवाही करना साबित किया है तथा साक्षी ने घटनास्थल नक्शा–नजरी प्रदर्श–क–2 को द्वितीयक साक्षी के रूप में एस०आई० ए०पी० यादव के लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्व प्रेषित आरोप पत्र को क्रमशः प्रदर्श–क–3 ता प्रदर्श–क–7 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट अनुराग श्रीवास्तव के लेख व हस्ताक्षर में अभियुक्तगण पप्पू उर्फ उत्तम कुमार तथा श्यामलाल के विरूद्व धारा–3/25 आयुध अधिनियम का मुकदमा चलाने हेतु अनुमति प्रपत्र को क्रमशः प्रदर्श–क–8 व प्रदर्श–क–9 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत अभियोग चलाने के लिए पुलिस अधीक्षक बहराइच/श्रावस्ती से अनुमति

समबन्धी प्रपत्र को प्रदर्श–क–10 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित गैंगचार्ट को प्रदर्श–क–11 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० को द्वितीयक साक्षी वीरेन्द्र कुमार मिश्र के लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए प्रदर्श–क–12 के रूप में साबित किया।

30– जिरह में पी०डब्लू०–3 ने बताया है कि इस मुकदमें की विवेचना उन्होंने उसके सामने नहीं किया है, न ही नक्शा–नजरी उसके सामने बनाया है। विवेचक एस०आई० विजय प्रताप सिंह कहां पर कार्यरत है, नहीं बता सकता। इन्होंने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं किया है। **विवेचना के दौरान मौके पर किसी छर्रा की बरामदगी की कोई फर्द नहीं बनायी है। उसने किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान लेने का प्रयास नहीं किया। वह घटनास्थल पर भी नहीं गया था। फायर कट्टा की बरामदगी के बाद फायर होने के सम्बन्ध में उसने कोई वैध एक्सपर्ट की राय नहीं मांगी।** यह कहना गलत है कि बगैर किसी ठोस साक्ष्य के मनगढंत तथ्यों के आधार पर फर्जी आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि विवेचक बिना घटनास्थल पर जाये एवं बिना किसी स्वतंत्र साक्षी का बयान लिये सरसरी तौर पर थाने पर बैठकर विवेचना किया जाना दृष्टिगत है।

31– पी०डब्लू०–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मिश्रा ने अपने बयान में मूल चिक को अपने लेख में बताते हुए प्रदर्श–क–12 के रूप में साबित किया है और मुकदमें की कायमी जी०डी० को एस०ओ० मोहम्मद कासिम के लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए प्रदर्श–क–13 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि इस फर्द पर मुकदमा लिखने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, एस०ओ० द्वारा मौखिक बताया गया था। **सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या निशानी अंगूठा रिपोर्ट के अन्त में लगवानी चाहिए किन्तु प्रथम पेज पर उसने हस्ताक्षर बनवाया है, लेकिन अन्त में हस्ताक्षर नहीं बनवाया था, क्यों नहीं बनवाया, इसका वह कारण नहीं बता सकता। कायमी जी०डी० पर ओरीजिनल हस्ताक्षर नहीं है, वह इसकी वजह नहीं बता सकता।** मुकदमा लिखे जाने के समय मुल्जिमानों के आपराधिक इतिहास के बारे में उसे कुछ नहीं बताया गया था। फर्द में इस बात का उल्लेख है कि मुल्जिमानों के गैंगचार्ट अलग से प्रस्तुत किया जायेगा। यह मुकदमा धारा–307 भा०दं०सं० के तहत भी दर्ज किया गया था किन्तु किसी को भी चोट नहीं आयी थी। इसलिए उसने कोई मजरूबी चिट्ठी नहीं बनायी थी। साक्षी के उपरोक्त बयान से घटना की एफ०आई०आर० भी संदेह के घेरे में आती है।

32– पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत निरीक्षक ए०पी० यादव मामले के प्रारम्भिक विवेचक है, जिन्होंने मामले की विवेचना प्रारम्भ करना एवं पर्चा नं०–1 से पर्चा नं०–5 तक किता करना साबित किया है। जिरह में साक्षी ने बताया है कि विवेचना के लिए

गैंगचार्ट अप्रूव मिला था। पूर्व विवेचक के द्वारा किता किये पर्चा–1 जिसमें नकल चिक, नकल रपट, अभियुक्तों का बयान आदि मिला था। **जो प्रपत्र उसे मिले थे, उसका उल्लेख सी०डी० में नहीं किया था। फर्द बरामदगी में कट्टा, कारतूस, चाकू इसके अलावा कुछ नहीं मिला था**। दौरान विवेचना कट्टा व चाकू खोलकर उसने नहीं देखा था, क्योंकि खोलकर देखने का अधिकार उसे नहीं है। गैंगचार्ट में अंकित मुकदमों की प्रमाणित एफ०आई०आर० कापी नहीं लगी है। **नक्शा–नजरी में उसने इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है कि नक्शा–नलजरी किस गांव का है, बल्कि गंगा भागड़ मोड़ का उल्लेख किया है। नक्शा–नजरी में क,ख,ग,घ स्थान एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, इसका उल्लेख उसने नक्शा–नजरी में नहीं किया है**। पर्चा नं०–2 से पर्चा नं०–5 व नक्शा–नजरी उसने लिखा है व ये दोनों चीजे पृथक–पृथक लेखन में लिखा होना प्रतीत होता है। तब साक्षी ने कहा कि ये दोनों चीजें उसके ही लेख में है। इस पर बयान के समय न्यायालय द्वारा टिप्पणी अंकित की गयी है कि "इस तरह का अलग–अलग लेख न्यायालय अपने निर्णय के स्तर पर तय करेगी।" न्यायालय का यह सम्प्रेक्षण है कि केस डायरी के पर्चा नं० 2 ता 3 व 5 जिस हस्तलेख में है, पर्चा नं०–4 उस हस्तलेख में नहीं है तथा नक्शा–नजरी प्रदर्श–क–2 का हस्तलेख पर्चा नं०–4 के हस्तलेख से मेल खाता है, जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण करना दर्शाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि या तो घटनास्थल का निरीक्षण विवेचक ने स्वयं नहीं किया है, या केस डायरी के अन्य पर्चे स्वयं तैयार नहीं किये हैं। इससे विवेचना के स्तर पर घोर लापरवाही दर्शित होती है।

33– पी०डब्लू०–5 ने जिरह में आगे कथन किया है कि ***फर्द में बृजेश वर्मा का नाम आया है, जिनके साथ अभियुक्तगण की चोरी करना बताया गया है। बृजेश वर्मा को उसने न तो गिरफ्तार किया है*** **और न ही इस मुकदमें में मुल्जिम बनाया है, क्योंकि ये अन्य घटना से सम्बन्धित है। उसने दौरान विवेचना किसी भी जनता के आदमी को गवाह नहीं बनाया है। इस्लाम के विरूद्व थाना मुल्हीपुर व पुलिस उच्चाधिकारियों को कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र जनता द्वारा दिया गया था तो साक्षी ने कहा कि इसके सम्बन्ध में उसे कोई जानकारी नहीं है। इस्लाम के विरूद्व इस गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने से पहले इसके विरूद्व और कितने मुकदमें दर्ज थे, इसकी जानकारी उसे नहीं है**। साक्षी के उपरोक्त बयान से विवेचक द्वारा सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए बिना सम्यक जाँच किये अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दृष्टिगत है।

34– पी०डब्लू०–5 ने जिरह में आगे बताया है कि गैंगचार्ट के अवलोकन का उल्लेख उसने केस डायरी में उल्लेख नहीं किया है। यह सही है कि **जब उसे विवेचना मिली थी तो उपरोक्त सभी मुकदमों में राजाराम के विरूद्व आरोप पत्र**

दाखिल नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपनी विवेचना में आरोप पत्र पत्रावलित नहीं किया था। **उसने इस बात को वादी से नहीं पूछा कि जब राजाराम के विरूद्ध पूर्व में कोई भी मुकदमें दर्ज नहीं है तो गैंगचार्ट डी०एम०/एस०पी० अनुमोदित करके गैंगस्टर की कार्यवाही कैसे प्रत्याशित थी**। उसने बरामद असलहों को फोरेंसिक जाँच हेतु कहीं नहीं भेजा था। उसने वादी मुकदमा से इस बात को पूछा था कि चूँकि घटनास्थल कोदिया गांव के किनारे की बतायी गयी है तो उन्होंने बरामदगी के समय गांव के किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को बरामदगी का गवाह क्यों नहीं बनाया गया तो वादी मुकदमा ने उसे बताया कि रात होने के कारण कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। **साक्षी ने प्रश्न किया गया कि उसने किसी भी स्वतंत्र गवाह का इस बावत बयान नहीं लिया कि अभियुक्तगण का जनता मे आतंक व भय पैदा है कि नहीं। साक्षी ने उत्तर में बताया कि उसने इसलिए बयान नहीं लिया था क्योंकि गैंगचार्ट में उल्लिखित सभी मुकदमों में विवेचना प्रचलित थी**। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि विवेचक ने सरसरी तौर पर विवेचना करते हुए बिना सम्यक जाँच किये अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दृष्टिगत है।

35– पी०डब्लू०–6 रामबरन वर्मा पुत्र रामफेरन ने अपने बयान में बताया है कि चोरी वाली घटना आज से 20–21 साल पहले की है। घटना के समय वह घर पर था। उस चोरी में उसके घर से महिलाओं का चीज, गहना, सोने की मोहर चोरी हो गयी थी। चोरी के सम्बन्ध में दी गयी दरख्वास्त में उसने किसी का नाम नहीं लिखाया था। अज्ञात में तहरीर दी थी। **पुलिस वालों ने उससे बाद में बताया था कि चोरी में पप्पू उर्फ उत्तम कुमार, इस्माइल, राजाराम और श्यामलाल शामिल थे और इन्हीं लोगों ने चोरी की थी**। जिरह में साक्षी ने बताया है कि उसने अज्ञात में मुकदमा लिखाया था। किसी को चोरी करते नहीं देखा था न ही किसी व्यक्ति का नाम एफ०आई०आर० में लिखाया था। **उसके घर किसने चारी की थी, उसे नहीं पता है।** उसने राजाराम के विरूद्ध चोरी का मुकदमा नहीं लिखाया था। यह सही है कि उसके घर चोरी हुयी थी। उसने राजाराम को चोरी करते नहीं देखा था। **उसका कोई सामान राजाराम के यहां से बरामद नहीं हुआ था**। उसका सामान दूसरे के घर से बरामद हुआ था। इस मामलों में पुलिस वालों ने राजाराम को कैसे मुल्जिम बना दिया, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने राजराम के खिलाफ पुलिस वालों को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा चोरी किया जाना स्पष्ट है कि क्योंकि उसने किसी को चोरी करते हुए नहीं देखा था। साक्षी के बयान से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य साबित होता प्रतीत नहीं हो रहा है।

36– अभियुक्तगण की ओर से परीक्षित गवाहान डी०डब्लू०–1 छोटेलाल वर्मा पुत्र राम सुमिरन अपने बयान अभियुक्त राजाराम को अच्छा चरित्र एवं सामाजिक

व्यक्ति बताया है और अभियुक्तगण को प्रधानी के चुनाव की रंजिश में झूठा फंसाये जाने का कथन किया है। जिरह में साक्षी ने बताया है कि राजाराम का गांव के आस पड़ोस में बहुत सम्मान है और सामाजिक कार्य करते है। इस साक्षी ने अभियुक्तगण को अच्छे चरित्र के होने का साक्ष्य दिया है।

37- अभियोजन स्वीकृति जो जिलाधिकारी द्वारा दी गयी है। उसके अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी ने माल मुकदमाती के चालू हालत के होने के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं किया है और न ही किसी बेलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त की है। इस प्रकार अभियोजन स्वीकृति भी मात्र औपचारिकता हेतु रूटीन के प्रकार में तैयार की गयी प्रतीत होती है।

38- इसके अतिरिक्त कायमी जी०डी० में अभियुक्तगण की जामा तलाशी में पहने कपडों के अलावा अन्य कोई वस्तु बरामद न होने का उल्लेख किया गया है। ऐसी परिस्थिति में यदि मौके पर फर्द की प्रति अभियुक्तगण को दी गयी थी तो वह थाना पर बरामद न होना अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है। अभियुक्तगण के पास से अन्य कोई वस्तु रूपया पैसा या बीड़ी माचिस, गुटखा-तम्बाकू आदि भी बरामद न होना स्वभाविक प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली में नमूना मोहर भी दाखिल नहीं है। गैंगचार्ट की कार्यवाही प्रारम्भिक रूप से ही दूषित होना साबित है। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद चाकू का हुलिया अभियोजन न्यायालय में सटीकता से साबित नहीं कर सका है और अभियुक्तगण के कब्जे से बरामदगी भी सदिंग्ध साबित हुयी है। इस प्रकार अभियोजन कथानक अविश्वसनीय, अपूर्ण व बनावटी होना प्रतीत होता है और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती है। तद्नुसार अभियुक्तगण संदेह का लाभ पाने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाना उचित है।

आदेश

अभियुक्तगण राजाराम पुत्र पटेश्वर प्रसाद व इस्लाम उर्फ मटिहा पुत्र एक्का को मुकदमा अपराध संख्या-344/2005 धारा-307 भा०दं०सं० व धारा-3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं अभियुक्त राजराम पुत्र पटेश्वर प्रसाद को मुकदमा अपराध संख्या-347/2005 धारा-4/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त इस्लाम उर्फ मटिहा पुत्र एक्का को मुकदमा अपराध संख्या-346/2005 धारा-4/25 आयु अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण का व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के

अनुपालन में व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूगण के बंधपत्र अगले 6 माह तक प्रभाव में रहेगें।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील अथवा अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार नष्ट किया जाये।

निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को भेजी जाये।

बादहू पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–13–03–2026 (निर्दोष कुमार)
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 13–03–2026 (निर्दोष कुमार)
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।